प्र.32/2025 दायर दि 6.3.25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम पिडावा जमाबंदी सं 2074-77 के खाता सं 460 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्दाज/लिपीकीय त्रुटी को अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट मे निम्नानुसार शुद्व किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता स.	वर्तमान इन्दाज/ त्रुटी पूर्ण इन्दाज	प्रस्तावित इन्दाज (शुद्व प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
0	मोहनलाल पुत्र रामा हि. पूर्ण जाति-चमार सा. गांव खातेदार	460	जाति-चमार	जाति- मेघवाल

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण | हस्ताक्षर

1. मोहनलाल s/o रामा जाति: चमार नि: पिडावा — मोहनलाल
2. चेतना जैन s/o अशोक कुमार जैन नि. पिडावा — [signature]
3.
4. सांवरिया s/o कन्हीराम जाति. बैरागी नि. [illegible] — [signature]

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम पिडावा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

8/3/2025

हस्ताक्षर पटवारी
प0म0 पिडावा

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:38:40 IST
Reason: SelfAttested

भू0अभि0 निरीक्षक
वृ0 [illegible]
13.3.25

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांकः राजस्व/2025/ 286 दिनांक : 12-3-2025

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम.....पिडावा..... के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
12/03/25

तहसीलदार
तह.पिड़ावा (झालावाड़)

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांकः राजस्व न्यायालय/2025/ 32 दिनांक : 18/03/2025

वादी/प्रार्थी के ग्राम ....पिडावा.... के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार.......................... की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार...पिडावा... पिडावा.......को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरूस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 14:38:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner